



उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

गुरुवार, 03 पौष, शक संवत्, 1942

(दिनांक : 24 दिसम्बर, 2020)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. निधन के निदेश।
2. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
3. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा “जनपद हरिद्वार के ग्राम डाडा पट्टी पो0 हसनपुर मदनपुर में राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण के सम्बन्ध में” श्री संचीत पुत्र श्री बृजपाल, ग्राम डाडा पट्टी, पो0 हसनपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
4. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा “जनपद हरिद्वार के ग्राम डाडा जलालपुर पो0 हल्लूमाजरा में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध सम्बन्ध में” श्री राहुल पुत्र श्री मामराज, ग्राम डाडा जलालपुर पो0 हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
5. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा “जनपद हरिद्वार के ग्राम हबीबपुर निवादा में पानी की टंकी निर्माण के सम्बन्ध में” डा0 संजीव सैनी पुत्र श्री सीताराम, ग्राम हबीबपुर निवादा पो0 हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
6. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा “जनपद हरिद्वार के ग्राम मंडावर पो0 खुब्बनपुर में आन्तरिक गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री प्रदीप पुत्र श्री चन्द्रपाल, ग्राम मंडावर पो0 खुब्बनपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा “जनपद हरिद्वार के ग्राम पुहाना पो0 सालियर में धार्मिक स्थल(मदरसा एवं मस्जिद) पर सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री ईरशाद पुत्र श्री असगर ग्राम पुहाना पो0 सालियर भगवानपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
9. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
10. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

11. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
12. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया “बाल गंगा विकास खण्ड” बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।”
13. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।”
14. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैंक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियों की जाय”।
15. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा राजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय”।
16. काजी मौ० निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय”।
17. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुआँ, जिला नैनीताल एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे हैं, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय”।
18. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय”।

19. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु “राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।”

20. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रु0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।”

21. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।”

22. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्हा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय”।

23. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ लोग विभिन्न कारणों से कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, के सम्पूर्ण भाग पर सरकारी अथवा सहकारिता के माध्यम से कृषि, बागवानी, सगन्ध पुष्प अथवा अन्य कोई रोजगारपरक खेती करायी जाय”।

24. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मत्स्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय”।

25. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय”।

26. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई-नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने-अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारीयां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये”।
27. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या-1118/XVII-1/2013-01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या-02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (Bonafide Residents) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय”।
28. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनु0 जनजाति व अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तदसम्बन्धी नियमावली 2008 में संशोधन हेतु संकल्प पारित कर भारत सरकार की प्रेषित किया जाय कि अन्य परम्परागत वन निवासी 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियां 75 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हो के स्थान पर पीढ़ी 25 वर्ष से वन भूमि में काबिज हो किया जाय”।
29. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में शराब को पूर्ण प्रतिबन्धित किया जाय”।
30. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की शीघ्र तैनाती की जाय”।
31. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि “जाति व्यवस्था को आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन एवं समाज में समरूपता/एकरूपता बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाये कि वह इस उद्देश्य से नाम के पीछे जाति, गोत्र आदि सूचक शब्दों को हटाने के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था निरूपित करें या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के नाम के आगे उनकी जाति जो स्वेच्छा से लगाना चाहें उनके नाम के आगे उनकी जाति गोत्र सूचक शब्द लगाये जाने की अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदेश में जिन लोगों के नाम के पीछे जाति/ गोत्र सूचक शब्द लगा हुआ है उन्हें तत्काल हटाया जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय”।

32. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।”

33. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी-छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।”

34. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि बी०डी० इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।”

35. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।”

36. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।”

37. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा० भीमराव अम्बेडकर के नाम पर “डा० भीमराव अम्बेडकर विधान सभा” कर दिया जाय।”

38. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।”

39. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराया जाय।”

40. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि सन् 1822 की कान्ति को पहली स्वतंत्रता कान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।”

41. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।”

42. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 जून, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र विशेष में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित आधारभूत सुविधाओं, सेवाओं आदि का विकास करते हुए पलायन रोकने हेतु सार्थक प्रयास किये जायें।”

43. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण काशतकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद एवं लम्बित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाय।”

44. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती का रोस्टर बदलकर अनु0 जाति को पहले स्थान से हटाकर 06 वां स्थान करने पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 07 से हटाकर 08 वां स्थान करने तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 24-25 वां स्थान करने से इस वर्ग के लोग हो रहे लाभ से वंचित हो गये हैं जबकि फरवरी 2019 में ही रोस्टर बदलने का क्या कारण है सरकार द्वारा तत्काल पूर्व रोस्टर को पुनः स्थापित किया जाय।”

45. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

“प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।”

46. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

“प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।”

47. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत “इरशाद हुसैन” आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।”

48. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोड़ों रुपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।”

49. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

“आयोजनागत एवं आयोजनोत्तर योजनाओं के आय-व्यय निर्धारण में संविलीयन होने से एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 का मात्राकरण जो पूर्व में इनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता था उस व्यवस्था के समाप्त होने के कारण पृथक-पृथक मात्राकरण आय-व्यय के नहीं होने के कारण इन योजनाओं का अस्तित्व ही निरर्थक हो गया है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आय-व्यय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इनके मात्राकरण के लिए तत्काल सरकार नीति निर्धारित करें।”

50. श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चा :-

“सत्त विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)”

51. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून :

दिनांक : 23 दिसम्बर, 2020

आज्ञा से,

(मुकेश सिंघल)

सचिव (प्रभारी)।